



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 कार्तिक 1946 (श10)

(सं0 पटना 1027) पटना, बुधवार, 23 अक्तूबर 2024

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

22 अक्तूबर 2024

आदेश संख्या 3/एम0-22/2023-17098/सा0प्र0—राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त एवं भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 द्वारा प्रक्रिया निर्धारित है। उक्त संकल्प के साथ संलग्न अनुसूची में सम्मिलित पदों पर ही संकल्प के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकता है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 की कंडिका-3(1) के प्रावधान के तहत सम्यक विचारोपरांत बिहार समाहणालय लिपिकीय सेवा के "सहायक प्रशासी पदाधिकारी" के पद को संकल्प की अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है।

3. उपरोक्त पद पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा नियोजन हेतु संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित शर्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं इन पदों पर सेवा लेने के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा ही नियमानुसार कार्यवाई की जाएगी।

आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1027+571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>